राजस्व लोक अदालत अभि...
"न्याय आपके द्वार-2017"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 37/2016

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प – सूरजपुरा

1– श्रीमति मीना देवी बेवा स्व. श्री गोपालसिंह,
2– श्रीमति पिंकलदेवी पुत्री स्व. श्री गोपालसिंह,
3– श्रीमजि ज्योतिबाला पुत्री स्व. श्री गोपालसिंह,
4– श्रीमति मधुबाला पुत्री स्व. श्री गोपालसिंह,
5– श्रीमति कमला देवी पुत्री स्व. श्री घीसासिंह,
6– श्री नारायणसिंह पुत्र स्व. श्री घीसासिंह,
समस्त जाति रावत, निवासीयान ग्राम सूरजपुरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर
––––––––वादीगण

ब ना म

1– श्री मदनलाल पुत्र स्व. श्री धन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोटियाना, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
2– श्रीमान तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.) बजरिये लैण्ड होल्डर
3– राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज.)
–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय दिनांक 19.5.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सूरजपुरा में पेश हुई। इस न्यायालय द्धारा दिनांक 02.06.2016 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार ब्यावर को पत्र कमांक 3581 दिनांक 10.05.2017 को डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्र दिनांक 10.04.2017 से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। वादिया संख्या 1 स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया। यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा सुरजपुरा पटवार क्षेत्र सुरजपुरा तहसील ब्यावर में स्थित आराजियात खसरा नंबर 345 रकबा 00–02–00, 348 रकबा 00–02–10, 354 रकबा 00–05–10, 411 रकबा 00–08–00, 429 रकबा 00–03–00, 430 रकबा 00–02–00, 437 रकबा 00–05–00, 490 रकबा 00–01–10, 516 रकबा 00–04–10, 656 रकबा 00–11–10 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 02–05–10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है को मीनादेवी बैवा गोपालसिंह, पिकंलदेवी, ज्योतिबाला, मधुबाला, पुत्रीयां गोपालसिंह 1/3 हिस्सा, कमलादेवी पुत्री घीसासिंह 1/3 हिस्सा, नारायणसिंह पुत्र घीसासिंह 1/12 हिस्सा कौम रावत साकिन देह खातेदार कुल हिस्सा 3/4, के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नंबर 431 रकबा 00–05–00, 436 रकबा 00–09–10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, को मदनलाल पुत्र धन्नालाल कौम कुम्हार साकिन लोटियाना 1/4 हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार ब्यावर को तहरीर जारी होकर यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एंव लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.5.2017 को मेरे द्धारा कोर्ट केंप सुरजपुरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प सुरजपुरा
राजस्व वाद संख्या 37/2016

1— श्रीमति मीना देवी बेवा स्व. श्री गोपालसिंह,
2— श्रीमति पिंकलदेवी पुत्री स्व. श्री गोपालसिंह,
3— श्रीमजि ज्योतिबाला पुत्री स्व. श्री गोपालसिंह,
4— श्रीमति मधुबाला पुत्री स्व. श्री गोपालसिंह,
5— श्रीमति कमला देवी पुत्री स्व. श्री घीसासिंह,
6— श्री नारायणसिंह पुत्र स्व. श्री घीसासिंह,
समस्त जाति रावत, निवासीयान ग्राम सूरजपुरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर
———————वादीगण

ब ना म

1— श्री मदनलाल पुत्र स्व. श्री धन्नालाल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोटियाना, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)
2— श्रीमान तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.) बजरिये लैण्ड होल्डर
3— राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज.)
—————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण — श्री सी0डी0सांखला
अधिवक्ता प्रतिवादीगण — कोई उपस्थित नही
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2 व 3 — पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :— 37/2016
निर्णय/डिक्री दिनांक :— 19.05.2017

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट सुरजपुरा में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.05.2017 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट सुरजपुरा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि —

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार मौजा सुरजपुरा पटवार क्षेत्र सुरजपुरा तहसील ब्यावर में स्थित आराजियात यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा सुरजपुरा पटवार क्षेत्र सुरजपुरा तहसील ब्यावर में स्थित आराजियात खसरा नंबर 345 रकबा 00—02—00, 348 रकबा 00—02—10, 354 रकबा 00—05—10, 411 रकबा 00—08—00, 429 रकबा 00—03—00, 430 रकबा 00—02—00, 437 रकबा 00—05—00, 490 रकबा 00—01—10, 516 रकबा 00—04—10, 656 रकबा 00—11—10 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 02—05—10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है को मीनादेवी बेवा गोपालसिंह, पिकंलदेवी, ज्योतिबाला, मधुबाला, पुत्रीयां गोपालसिंह 1/3 हिस्सा, कमलादेवी पुत्री घीसासिंह 1/3 हिस्सा, नारायणसिंह पुत्र घीसासिंह 1/12 हिस्सा कौम रावत साकिन देह खातेदार कुल हिस्सा 3/4, के हिस्से में रखे जाने तथा

पीयुष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
श्रीमती मीना देवी व अन्य बनाम श्री मदनलाल व अन्य
राजस्व वाद संख्या 37 / 2016
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प – सूरजपुरा

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2017"

खसरा नंबर 431 रकबा 00–05–00, 436 रकबा 00–09–10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, को मदनलाल पुत्र धन्नालाल कौम कुम्हार साकिन लोटियाना 1 / 4 हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार ब्यावर को तहरीर जारी होकर यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एंव लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 19.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर